रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265792
CG-DL-E-29082025-265792

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
No. 547] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 591(अ).— भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के साथ पठित धारा 114 की उप-धारा (2) के खंड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा, जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**

(1) इन नियमों को भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 (इसके बाद मूल नियम के रूप में संदर्भित) में, विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2000 के सभी संदर्भों को विदेशी विनिमय प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (इसके बाद फेमा (एनडीआई) नियम के रूप में संदर्भित) के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, और फेमा विनियम 2000 के सभी संदर्भों को फेमा (एनडीआई) नियमों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल नियम में, नियम 2 के उप-नियम (1) में,

(क) खंड (च) में, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े " विनियमन 5 के उप विनियमन (1) के खंड (i)" और शब्द और अक्षर "विनियमन 6" का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (ज) में, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "विनियम 5 के उप-विनियमन (2), (2क), (3) और (8)" का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम में, नियम 3 में, शब्द "ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक करने के लिए" शब्दों को "बीमा अधिनियम, 1938 द्वारा यथा निर्धारित सीमा से अधिक करने के लिए" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. मूल नियम में, नियम 4 के उप-नियम (1),

(क) खंड (क) का लोप किया जाएगा।

(ख) खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

(ग) व्याख्या का लोप किया जाएगा।

6. मूल नियम में, नियम 4 के उपनियम (2) का लोप किया जाएगा।

7. मूल नियम में, नियम 4क का लोप किया जाएगा।

8. मूल नियम में, नियम 5 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"5. भारतीय बीमा कंपनी के विदेशी निवेश प्रस्तावों को बीमा अधिनियम, 1938 द्वारा यथा निर्धारित प्रदत्त इक्विटी पूंजी के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के अध्यधीन स्वचालित मार्ग पर अनुमति दी जाएगी।"।

9. मूल नियम में, नियम 7 में, शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "के विनियम 5 के उप-विनियमन (2), (2क), (3) और (8)" का लोप किया जाएगा।

10. मूल नियम में, नियम 9 के उप-नियम (3) में, खंड (ii), (iii), (v) और (vii) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 13011/19/2013-बीमा-II]

प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.115(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि.534(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2015, सा.का.नि.314 (अ), दिनांक 16 मार्च, 2016, सा.का.नि.619(अ) दिनांक 2 सितंबर, 2019 और सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 19 मई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

G.S.R. 591(E).— Draft rules to amend the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (aaa) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938, read with sub-clause (b) of clause (7A) of section 2 of the said Act, are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:

(1) These rules may be called the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), all references to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 shall be substituted with Foreign Exchange Management (Non-Debt Instrument) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the FEMA (NDI) Rules), and all references to FEMA Regulations 2000 shall be substituted with FEMA (NDI) Rules.

3. In the principal rules, in sub-rule (1) of rule 2,

(a) in clause (f), the words, brackets and figures "clause (i) of sub regulation (1) of regulation 5 of" and the word and letter "Regulation 6 of" shall be omitted.
(b) In clause (h), the words, brackets and figures "sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of" shall be omitted.

4. In the principal rules, in rule 3, the words "to exceed seventy-four percent of the paid- up equity capital of such Indian Insurance Company" shall be substituted with the words "to exceed the limit as stipulated by the Insurance Act,1938".

5. In the principal rules, sub-rule (1) of rule 4,

(a) clause (a) shall be omitted.
(b) clause (b) shall be omitted.
(c) Explanation shall be omitted.

6. In the principal rules, sub-rule (2) of rule 4 shall be omitted.

7. In the principal rules, rule 4A shall be omitted.

8. In the principal rules, rule 5 shall be substituted with the following, namely:—

"5. The Foreign Investment proposals of the Indian Insurance Company shall be allowed on the automatic route for the paid–up equity capital as stipulated by the Insurance Act, 1938 subject to verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India.".

9. In the principal rules, in rule 7, the words, brackets and figures "sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of" shall be omitted.

10. In the principal rules, in sub-rule (3) of rule 9, clause (ii), (iii), (v) and (vii) shall be omitted.

[F. No. 13011/19/2013-Ins.II]

PARSHANT KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 115 (E), dated the 19th February, 2015 and were subsequently amended by notification numbers G.S.R. 534(E), dated the 3rd July, 2015, G.S.R. 314(E), dated the 16th March, 2016, G.S.R. 619(E), dated the 2nd September, 2019 and G.S.R. 337(E), dated the 19th May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA